



छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

जी.ई. रोड, रायपुर (छ0ग0)

(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित) दूरभाष/फैक्स: 0771-2263234

Website: www.cghealthuniv.com

क्रमांक/ 815 /आयुष/गोप./2015

रायपुर, दिनांक 06/02/2015

//अधिसूचना//

अनुचित साधन समिति की बैठक दिनांक 04.12.2014 में लिए गए निर्णय अनुसार अनुचित साधन के अंतर्गत रोके गए निम्नांकित छात्र को विश्वविद्यालय विनियम क्रमांक 10 केटेगरी-5- के अंतर्गत Will Not be allowed to appear for the entire examination of that year. (Cancellation of examination) and the examination of the next year of the medical university. से दंडित किया जाता है।

अनुक्रमांक	परीक्षा का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	महाविद्यालय का नाम	परीक्षा केन्द्र का नाम
397	एम बी बी एस द्वितीय प्रोफेशनल परीक्षा जुलाई-2014	पंकज धनेलिया	सिम्स, बिलासपुर (छ,ग.)	सिम्स, बिलासपुर (छ,ग.)

आदेशानुसार


कुलसचिव


पृ. क्रमांक/ 158/आयुष/गोप./2015

रायपुर, दिनांक 06/02/2015

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर (छ.ग.) ।
2. कुलसचिव, छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय को सूचनार्थ ।
3. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. उपरोक्त संबंधित छात्रों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. परीक्षा विभाग, छ.ग.आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

✓ 6. उक्त परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाईट [Website: www.cghealthuniv.com](http://www.cghealthuniv.com) से भी प्राप्त किया जा सकता है ।


कुलसचिव
